सख्ती. प्रोजेक्ट के खाता डिटेल व ऑडिट रिपोर्ट की देनी पड़ेगी जानकारी

बिल्डरों पर नकेल : 31 तक देना होगा ग्राहकों के पैसे का हिसाब

संवाददाता ▷ पटना

रेरा ने वैसे बिल्डरों की नकेल कस दी है, जो फ्लैट का पैसा लेते तो हैं, पर फ्लैट देते ही नहीं है. ग्राहकों का पैसा कहीं और लगा देते हैं. राज्य में रियल इस्टेट निर्माण कंपनियों को 31 मार्च तक अपनी कंपनी का पूरा हिसाब देना होगा. उन्हें बताना होगा कि ग्राहकों का पैसा कहां खर्च किया है. रेरा ने इसके लिए नोटिस जारी किया है. रेरा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों द्वारा कितने निर्माण पूरे किये गये? किस प्रोजेक्ट की कितनी राशि खर्च हुई और आगे भविष्य में कब कितने प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं. इनका वार्षिक हिसाब देना होगा. दरअसल, राज्य में रियल इस्टेट कंपनियों, बिल्डरों को दिसंबर के अंत तक पूरे वर्ष भर का ब्योरा देना होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने ब्योरा देने की समय- सीमा में 31 जनवरी तक छूट दे रखी थी. राज्य सरकार के निर्देश पर बिहार रेरा ने छूट की समय- सीमा 31 मार्च तक कर दी है. गौरतलब है कि प्रभात खबर ने एक फरवरी को ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि अब बिल्डरों को 60 दिनों के भीतर हिसाब देना होगा.

खाते में रखनी होती है 70 फीसदी राशि : रेरा में आयी शिकायतों के अनुसार राज्य के बिल्डरों की ओर से एक बड़ी गड़बड़ी देखी जा रही है. कई बार रियल इस्टेट कंपनी किसी अपार्टमेंट निर्माण के लिए बुकिंग और काम के आधार पर ग्राहकों से पैसा लेती है और निर्माण को आधे पर रोक कर पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है. इससे बिल्डर नये प्रोजेक्ट को दिखा कर अन्य ग्राहकों से भी पैसे • बाकी पेज 11 पर

हिसाब में गलत जानकारी दी, तो देना होगा भारी जुर्माना

प्रभात खबर ने एक फरवरी को ही दे दी थी जानकारी

बैलेंस शीट व ऑडिट स्टेटमेंट रिपोर्ट

रेरा ने सभी रियल इस्टेट कंपनियों से बैलेंस शीट और ऑडिट स्टेटमेंट रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, राज्य में लगभग 1350 निर्माण का निबंधन रेरा की ओर से किया जा रहा है. इनमें लगभग सात सौ रियल इस्टेट कंपनियां है. अब इन कंपनियों को अपना वार्षिक हिसाब दो तरह से देना होता है. एक जानकारी प्रोजेक्ट के हिसाब से और दूसरी जानकारी कंपनी के हिसाब से देनी होगी. अगर जानकारी गलत हुई तो रेरा की ओर से निर्माण कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावा कंपनी एक्ट के माध्यम से भी जुर्माना लग सकेगा. इससे बिल्डरों कोभारी नुकसान हो सकता है.

रूबन अस्पताल को रेरा के पास जमा करने होंगे 1.88 करोड़ रुपये

पटना. रूबन अस्पताल को एक करोड़ 88 लाख 54 हजार रुपये रेरा के खाते में जमा करने होंगे .रियल इस्टेट कंपनी अग्रणी होम्स से पाटलिपुत्र में संपत्ति खरीद के मामले में रेरा ने रूबन अस्पताल को यह निर्देश दिया है. अग्रणी होम्स के मामले में सुनवाई के दौरान गुरुवार को यह निर्देश जारी किया गया. रेरा अधिकारी ने बताया कि अग्रणी होम्स को निर्देश जारी किया गया था कि वह पाटलिपुत्र की संपत्ति बेच पर • बाकी पेज 11 पर

Scanned with CamScanner